

कई अहकाम  
शशिधर लाल बनाम धन्ना वर्मा

न्यायालय :- उपखण्ड अधिकारी फागी  
संख्या- 89/2025 T.P.

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
12 1/25	<p>पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उपर वकील प्रार्थी ने उक्तवाद को आगे नहीं चलाकर इसी स्तर पर नोटिस अंकित कर खारिज करने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी द्वारा अंकित नोटिस के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नं० ले कम हो। दाखिल दफ्तर रहे।</p> <p style="text-align: right;">✓</p>	